भाग–।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या (FP/UK/R0AD / 8979/2014)

7. परियोजना/स्कीम का स्थान – **नैनीताल कालाढूगी मो0मा0 के किमी0 20 से नलनी मो0मा0का निर्माण**

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उत्तराखण्ड

ii) जिला नैनीताल

iii) वन प्रभाग नैनीताल वन प्रभाग

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) 0.495 है0

v) वन की कानूनी स्थिति आरक्षित/सि0सो0 भूमि

vi) हरियाली का घनत्व 0.1

vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए — वृक्षो की सूची संलग्नक हैं ।

viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। — भू–वैज्ञानिक रिपोट संलग्न हैं ।

ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की अनुमानित दूरी — वन सीमा के अर्न्तगत

x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजंर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए) — नही

xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। — नही

xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेंत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या — नही

8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। — संलग्नक

9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। — नही

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–

i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	1.0 है से कम वन भूमि प्रभावित होती हैं ।
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	1.0 है से कम वन भूमि प्रभावित होती हैं ।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	1.0 है से कम वन भूमि प्रभावित होती हैं ।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	–
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) — संलग्नक

12– प्रभाग/जिला प्रोफाइल

i.	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	679400 है0
ii.	जिला का वन क्षेत्र।	402040 है0
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	291 मामले 458.267 है0 जिसमें सि0सो0/व0प0 भी सम्मल्लित हैं ।
iv.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	977.890 है0
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	
	2015 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	929.542 है0
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	—

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। — प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसारित ।

दिनांक 10–06 –2016
स्थान नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.